बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-5/आ०2-1029/2022- 803 पटना, दिनांक:- 28/4/25

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका अन्तर्गत बौंसी ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने हेतु विभागीय पत्रांक-812, दिनांक-31.07.2024 द्वारा श्री राजीव रंजन लाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी। पुनः विभागीय पत्रांक-1409, दिनांक-14.10.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु श्री लाल को स्मारित किया गया, परन्तु स्मारित किये जाने के बावजूद 'उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

2. श्री लाल द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री लाल, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका में कार्यपालक अभियंता के पद पर लगभग 25 माह तक कार्यरत्त रहे, परन्तु बौंसी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य अधूरा रहने के बावजूद उनके द्वारा एकरारनामा के Section-3(GCC) Clause of Contract के Clause-2(Compensation for Delay), Clause-3(When Contract can be determined/rescinded), Clause-5(Time and extension for delay) एवं Clause-6(Measurement of work done) इत्यादि के तहत संवेदक के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गयी। श्री लाल द्वारा संवेदक के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई नहीं करने के कारण उक्त योजना के क्रियान्वयन में अतिशय विलंब हुआ।

3. समीक्षोपरांत विषयांकित मामले में श्री लाल के स्तर से बरती गयी लापरवाही एवं शिथिलता हेतु बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि अभिकथित आरोप के लिए श्री लाल के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

4. आरोपित श्री लाल, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

5. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में

abh/sanklp

निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति एवं आरोप पत्र(अनुलग्नक सहित) श्री राजीव रंजन लाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/जाँच संचालन पदाधिकारी अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

6. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0-

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/आ०2-1029/2022- 803 पटना, दिनांक- 28/4/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.04.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

25-04-25